(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1248-तीन/1994 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 8-11-1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 414/1982-83 निगरानी

1- छक्कनराम पुत्र ईश्वरी राम पाण्डेय
ग्राम बरगवॉ तहसील देवसर जिला सीधी
2- शॅखलाल पुत्र जयवीर ग्राम घोड़
तहसील देवसर जिला सीधी
3- हरखू पुत्र लेखश्वर 4- मोतीलाल पुत्र लखेश्वर
दोंनों ग्राम घोड़र तहसील देवसर जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीधी
2- सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद ग्राम वरल्वा टोला
तहसील देवसर जिला सीधी --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक -1 के पैनल लायर)
(अनावेदक -2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 413/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-11-1994 के विरुद्ध म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 2 के पास म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम में निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि होना पाकर

अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 817 अ 90(बी-3) 1974-75 पॅजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 29-12-1975 पारित किया तथा सीलिंग प्रकरण का निराकरण कर दिया।

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अभिज्ञान में यह तथ्य आया कि अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 817 अ 90(बी-3) 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 29-12-75 में कुछ भूमियों के अंतरणों को गलत ढंग से अधिनियम के प्रभाव से मुक्त किया है उन्होंने स्वमेव निगरानी के प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 20-6-1979 को राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर को प्रेषित किये। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर से आदेश दिनांक 3-1-1983 पारित हुआ तथा आयुक्त को स्वमेव निगरानी के अधिकार होना मानते हुये प्रकरण निराकरण हेतु आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को प्रतिप्रेषित किया गया, जिस पर से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 413/1982-83 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभिक की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 8-11-1994 पारित किया तथा आवेदकगण द्वारा धारित भूमि की पात्रता का परीक्षण कर आदेश के पैरा 6 एंव 7 में निर्धारण अनुसार भूमि अतिशेष घोषित की एंव अतिशेष घोषित भूमि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण एस.डी. ओ. को वापिस किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर बल देते हुये आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी के आदेश दिनांक 29-12-1975 के आठ साल वाद स्वमेव निगरानी की है जो अतिविलम्ब से है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस दिया है

उसमें सही विवरण अंकित नहीं है। अपर आयुक्त रीवा ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जब विवादित आराजी पर 17-3-1974 के पूर्व से आवेदकगण काविज है एंव खेती कर रहे है ऐसी भूमि धारक की मानना गलत है और इस भूमि को धारक की भूमि में नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 8-11-1994 को निरस्त करने की मांग रखी।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है तथा आवेदकगण ने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर बचाव किया है मामले में वर्ष 1994 से सुनवाई हो रही है एंव लम्बा समय गुजर जाने के वाद अब पुनः सुनवाई हेतु मामला रिमान्ड नहीं किया जा सकता। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर विचार करना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी के आदेश दिनांक 29-12-1975 के आठ साल वाद अपर आयुक्त व्दारा स्वमेव निगरानी विलम्ब से दर्ज की है ? अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी के आदेश दिनांक 29-12-1975 में अनियमिततायें किये जाने का तथ्य वर्ष 1978-79 में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अभिज्ञान में आया जिसके तत्काल वाद आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने कार्यवाही कर प्रस्ताव दिनांक 20-6-79 राजस्व मण्डल को कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) चितरंगी जिला सीधी के आदेश दिनांक 29-12-1975 में अनियमिततायें किये जाने के तथ्य आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अभिज्ञान में वर्ष 1978-79 में आया और पता चलने पर तत्काल वाद स्वमेव निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है जिसके कारण जानकारी के दिन से स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करना अनुचित विलम्ब नहीं है इसका खण्डन आवेदकगण के अभिभाषक नहीं कर सके है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा ने आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस दिया है उसमें सही विवरण अंकित नहीं

है। अपर आयुक्त रीवा ने आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 3-1-1983 पारित कर प्रकरण स्वमेव निगरानी की कार्यवाही हेतु आयुक्त रीवा संभाग को भेजा है एंव दिनांक 3-1-1983 के वाद अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 314/82-83 पॅजीबद्ध होकर अंतिम आदेश दिनांक 8-11-1994 तक पक्षकारों की सुनवाई हुई है। अपर आयुक्त की आर्डरशीट दिनांक 8-11-94 इस प्रकार है :-

1. **धारक अधिवक्ता उपस्थित। तर्क सुने गये। तर्क है कि हमने तो बेच दिया है तर्क सुने गये। आदेशार्थ।**
2. **पुनश्च : अंतरणग्रहीताओं के अधिवक्ता एंव अंतरणग्रहीता अनुपस्थित । उन्हें भी सुना जाना है। शाम 5-30 तक उनकी प्रतीक्षा हो।**
3. **पुनः 1-30 पीएम पर अंतरणग्रहीता के अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा उप0 उनका तर्क है कि सभी Transfer Valid हैं तथा अधिनियम का उद्वेश्य विफल करने हेतु नहीं है। उन्हें सुना जाकर आदेशार्थ ।**
4. **पुनः अंतरणग्रहीताओं के अधिवक्ता श्री सुशील तिवारी (छक्कन राम) उप0 उनका कथन है कि 1954 में खरीदा तब से काविज है सुना गया आदेशार्थ।**
5. **पुनः समय 1-50 पी.एम.पर धारक अधिवक्ता ने एक आवेदन देकर कहा कि उन्होंने कंडिका 1 में जो बहस की थी वह बहस नहीं है पुनः अवसर दिया जाय तथा पुनः नोटिस दी जाय। धारक व्दारा बहस कंडिका 1 में ही सुनी जा चुकी है तथा वह स्पष्टतः यह कह चुका है कि उसने तो जमीन बेंच दी है अतः अब पुनः बहस को अवसर का मात्र सीलिंग का निराकरण शीघ्र ही हो जायेगा । यह जानकारी लंबित रखने के उद्वेश्य से यह आवेदन है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अतः आवेदन खारिज किया जाकर आदेशार्थ।**

यदि उक्त सव पैरा 5 में वर्णित अनुसार धारक का आवेदन अपर आयुक्त ने खारिज किया, उस खारिजी आदेश मात्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में धारक को निगरानी करना थी, किन्तु उसके व्दारा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई एंव विचाराधीन निगरानी में भी धारक अर्थात अनावेदक क्रमांक-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा है जिसके कारण इस पर विचार संभाव नहीं है।

वर्ष दिनांक 3-1-1983 के वाद से दिनांक 8-11-94 तक कई पेशियों पर आवेदकगण को सुनवाई का एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है उक्तानुसार सव पैरा 5 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदकगण की यही मंशा प्रतीत होती है कि किसी प्रकार सीलिंग प्रकरण का अंतिम निराकरण न

होने पावे, जबकि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है जिसके कारण आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया।

7/ आवेदकमगण के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पर 17-3-1974 के पूर्व से आवेदकगण काविज है एंव खेती करना प्रमाणित है ऐसी स्थिति भूमि धारक की मानना गलत है और इस भूमि को धारक की भूमि में नहीं जोड़ा जा सकता। अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 8-11-19984 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद 6 एंव 7 में विस्तृत विवेचना करके आवेदकगण द्वारा धारित भूमि एंव धारक की भूमि अधिनियम में विहित पात्रता से अधिक भूमि धारित करना पाई है एंव भूमि का अंतरण अधिनियम के प्रभाव से बचने के लिये किया जाना जॉच/सुनवाई में प्रमाणित पाया है जिसके कारण वह आवेदकगण की भूमि न होकर धारक के खाते की भूमि है । आवेदकगण स्वयं् की अर्जित भूमि प्रमाणित नहीं कर सके हैं जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 8-11-84 के पद 6 एंव 7 में विस्तृत विवेचना करके निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 413/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-11-1994 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर